यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून के माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री खजान सिंह एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2020 से 19.09.2020 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि प्रकाश पाठक एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.07.2019 से 30.07.2019 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 08/2017 से 06/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- देहरादून।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2018-19	-	-	-	-	1059.79	912.60	-	147.19
2019-20			-	-	1155.49	974.61	-	180.88
2020-21 (07/20तक)	-	-	-	-	1270.53	821.14	-	449.39

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत**
2018-19		-	शून्य		
2019-20		-	शून्य		
2020-21(07/20)		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून 'ए' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
नगर मजिस्ट्रेट
उप जिलाधिकारी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ट सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 01: ₹ 5.34 करोड़ की विविध देयों की धनराशि की वसूली का लंबित रहना।

उत्तर प्रदेश वसूली नियम-संग्रह के नियम 05 के अनुसार जिले में भू-राजस्व और और अन्य सरकारी बकायों की वसूली की सांविधिक बाध्यता कलेक्टर में निहित है। इस बाध्यता के निर्वहन हेतु, वह इस कार्य के लगातार और व्यक्तिगत संपर्क में रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी इन कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से और तत्परता से करते हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय IX की विभिन्न धाराओं (50 से 64) के अंतर्गत खाद्य अपराधों के संदर्भ में शास्तियाँ अधिरोपित किए जाने का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 64 (2) के अनुसार न्यायालय, अपराधी का नाम और उसके निवास का स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति को अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय निर्देशित करे, प्रकाशित करा सकेगा। इसी प्रकार धारा 96 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमी की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-क (4) के अंतर्गत यह व्यवस्था है की यदि कलेक्टर द्वारा किसी विलेख पर कम स्टाम्प पायी जाती है तो वह संबन्धित पक्षकार की उचित स्टाम्प शुल्क अथवा कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने के निर्देश देने के साथ-साथ ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं जो उक्त राशि के चार गुने से अधिक न हो। तथा संबन्धित पक्षकार को यह निर्देश देंगे की वह विलेख के पंजीयन की तिथि से ऐसी कमी वाली राशि के 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति जमा करे।

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विविध देयों (21 मदें) की वसूली की शुद्ध मांग ₹ 62.67 करोड़ थी, जिसके सापेक्ष उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 57.32 करोड़ की वसूली की गयी तथा वर्ष के अंत में ₹ 5.34 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित रही। लेखापरीक्षा में विविध देयों में से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिरोपित शास्तियों तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्तियों की लंबित वसूली के कारणों का नमूना जांच के रूप में, विश्लेषण किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियाँ पायीं गयीं:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरंभ में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिरोपित शास्तियों की ₹ 0.6739 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी, उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 0.0435 करोड़ की शास्तियाँ और अधिरोपित की गईं एवं मात्र ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की गईं। उक्त वित्तीय वर्ष के अंत में कुल ₹ 0.7074 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित रही। आगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अगस्त 2020 तक ₹ 0.0630 करोड़ की शास्तियाँ अधिरोपित की गईं तथा 0.0015 करोड़ की वसूली की गयी। इस प्रकार लेखापरीक्षा की तिथि तक कुल ₹ 0.7689 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त लंबित धनराशि की वसूली हेतु न तो अधिनियम की धारा 64 (2) के अनुसार न्यायालय, अपराधी का नाम और उसके निवास का स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया और न ही धारा 96 के अनुसार अधिरोपित शास्ति जिसका संबन्धित व्यक्ति द्वारा संदाय नहीं किया गया उससे त्वरित वसूली हेतु भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की भांति कोई ठोस कार्यवाही ही की गयी जबकि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि जुर्माने कि धनराशि को तत्काल जमा करा दिया जाए अन्यथा न्यायालय द्वारा वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 96 के अनुसार शास्ति के संदाय होने तक व्यतिक्रमी की अनुज्ञप्ति का निलंबन भी सुनिश्चित नहीं किया गया।
- जिलाधिकारी कार्यालय, स्टाम्प अनुभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2020 को ₹ 7.61 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी। दो प्रकरणों[1] की (जिनके विलेख का पंजीकरण जुलाई 2012 में हुआ था) नमूना जांच में पाया गया कि दोनों प्रकरणों में जुलाई 2017 में स्टाम्प की कमी की धनराशि ₹ 1.15 करोड़ पर शास्ति की धनराशि ₹ 1.4030 करोड़ अधिरोपित करते हुए कुल ₹ 2.5530 करोड़ की वसूली हेतु जुलाई 2017 आरसी जारी की गईं थी। तत्समय से अब तक तीन वर्ष बीत चुके थे परंतु संबन्धित व्यक्तियों द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं कराई गयी थी। परंतु, जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार उक्त अवधि हेतु आगे 02 प्रतिशत (₹ 82.80 लाख x 2= ₹ 1.66 करोड़) शास्ति अधिरोपित करते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

[1] संजय मिनोचा, वाद संख्या 05/2013-14, रुचिका मिनोचा, वाद संख्या 06/2013-14

यह भी पाया गया कि वसूली की लंबित धनराशि ₹ 5.34 करोड़ में ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि तीन से तेरह वर्षों से वसूली हेतु लंबित थी। परंतु जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2020 को स्टाम्प अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार ₹ 7.6127 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी जबकि सीआरए अनुभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कुल ₹ 6.15 लाख ही लंबित थी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा लंबित धनराशि की वसूली हेतु उपर्लिखित नियम/अधिनियम के प्रविधानों के अनुसार ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि:

- शास्ति की धनराशि वसूल न होने के मुख्य कारणों में बकायेदार का सही पता तसदीक न होना तथा बकायेदार उत्तराखंड से बाहर के प्रदेशों में होने के कारण वसूली समय पर नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया कि अपराधी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 64 (2) के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी तथा अपराधी द्वारा न्यायालय से आरोपित धनराशि जमा न करने के कारण किसी भी कारोबारी की अनुज्ञप्ति भी निलंबित नहीं की गयी।
- निर्धारित अवधि में राजस्व की धनराशि जमा न कराये जाने कि स्थिति में संबन्धित व्यक्ति कि चल-अचल संपत्ति कुर्क करने तथा 14 दिन के कारावास में रखे जाने का प्रविधान है तथा उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
- वसूली प्रमाणपत्र निर्गत की तिथि एवं वसूली होने की तिथि तक अर्थदण्ड का दो प्रतिशत की दर से आंकलन कर सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि शास्ति प्रदेश में स्थित न्यायालय में अधिरोपित की गयी थी जो बिना संबन्धित व्यक्ति के नाम और पते के नहीं की जा सकती, समय से धनराशि जमा न कराये जाने हेतु दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गयी जैसाकि ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि विगत 13 वर्षों से वसूली हेतु लंबित थी। स्टाम्प की वसूली के प्रकरणों में विलेख के पंजीयन की तिथि से ऐसी कमी वाली राशि के 02 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के प्रकरणों में धनराशि जमा न करने पर तीन वर्ष बीतने के बाद भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे।

इस प्रकार जिलाधिकारी कार्यालय की शिथिलता के कारण ₹ 5.34 करोड़ की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 02: रु 27.49 लाख मूल्य के खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में वस्तुओं एवं सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु निम्न प्रविधान किए गए हैं कि:

- नियम 3(4) के अनुसार अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप सूचित की जानी चाहिए;
- नियम 3(6) के अनुसार सभी शर्तें समान होने पर समान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाए, अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाए जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गयी है;
- नियम 15(1) के अनुसार निविदा संबंधी प्रस्ताव के दस्तावेज़ में सभी शर्तों, दस्तावेजों, प्रतिबंध, आवश्यकताएँ एवं सूचनाए यथा अनुबंध की शर्तें एवं प्रतिबंध, सामग्री/सेवा की मांग का विवरण, सामग्री की विशिष्टियाँ एवं संबन्धित तकनीकी विवरण, मूल्य सारणी तथा अनुबंध का प्रारूप आदि निहित होनी चाहिए;
- नियम 17(1) के अनुसार संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदा दाता से संविदा के 05 से 10 प्रतिशत के बराबर कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त की जानी चाहिए; एवं
- नियम 43 (3) के अनुसार निविदा दस्तावेज़ में ही चिन्हित कमियों, गलतियों, उपेक्षाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख कर स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वरूप में दंड प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
- नियम 13 (ii) के अनुसार व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए;

उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र की शर्त संख्या 12 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सामग्री के नमूना/गुणवत्ता/डेमो आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत देहरादून जनपद को स्वीकृत रु 5.00 करोड़ की धनराशि में से रु 50.00 लाख (10%) आपदा प्रतिवादन के

लिए आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण के क्रय हेतु स्वीकृत किए गए थे। जिलाधिकारी द्वारा मई 2019 में मानसून पूर्व तैयारियों हेतु आपदा बचाव उपकरण क्रय करने का निर्णय लिया गया। 17 जुलाई 2019 को निविदाए आमंत्रित की गईं जो 31 जुलाई को खोली गईं। निविदा में चार फ़र्मों (अवनी, डिफेंस इक़्युपर्स, मयूर एंटरप्राइसेस एवं आरडीसी) द्वारा प्रतिभाग किया गया। चारों फर्म तकनीकी निविदा में सफल पायी गईं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय निविदा में पेलिकन लाइट हेतु मयूर एन्टर प्राईसेस की दरें रु 133000/ निम्नतम थीं। परंतु यह तर्क देते हुए की अन्य फ़र्मों द्वारा उपयुक्त नमूना न दिये जाने एवं सर्टिफाइड़ अभिलेख न दिये जाने और डिफेंस इक़्युपर्स द्वारा प्रस्तुत नमूना उपयुक्त पाये जाने के आधार पर उसकी उच्चतम दरें रु 164945/ स्वीकृत की गईं जो निम्नतम दरों से रु 30945/ अधिक थीं। रेन कोट हेतु अवनी की दरें रु 363/ निम्नतम थीं परंतु डिफेंस इक़्युपर्स की अधिकतम दरें रु 525/ जो निम्नतम दरों से रु 162/ अधिक थीं, इस तर्क के साथ कि उसका नमूना उपयुक्त था, स्वीकृत की गईं। इसी प्रकार, 8 से 12 आकार के टेंट हेतु मयूर एंटरप्राइसेस की दरें रु 9968/ निम्नतम थीं परंतु डिफेंस इक़्युपर्स की अधिकतम दरें रु 10948/ जो निम्नतम दरों से रु 980/ अधिक थीं, इस तर्क के साथ कि अवनी और आरडीसी द्वारा नमूना प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मयूर का नमूना उपयुक्त नहीं था, स्वीकृत की गईं। उपकरणों के क्रय हेतु उपरोक्त दरें 25 अक्टूबर 2019 को स्वीकृत की गईं। नबंवर 2019 के प्रथम सप्ताह में डिफेंस इक़्युपर्स और अवनी को उक्त उपकरणों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किए गए, जिसके अनुसार फ़र्मों द्वारा एक सप्ताह के अंदर उपकरणों की आपूर्ति की जानी थी। उपकरणों की आपूर्ति किए जाने पर मार्च 2020 में, डिफेंस इक़्युपर्स को रु 14.57 लाख का तथा अवनी को रु 12.92 लाख का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार कुल रु 27.49 लाख मूल्य के खोज एवं वचाब उपकरणों का क्रय किया गया।

आगे, लेखापरीक्षा विश्लेषण में आपदा खोज एवं बचाव उपकरण की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गयी:

- उपकरण क्रय का निर्णय लिए जाने (09 मई 2019) के दो माह से भी अधिक के बाद (17 जुलाई 2019) को निविदाए आमंत्रित की गईं, जो 31 जुलाई 2019 को खोली गईं। परंतु मानसून सत्र बीत जाने के बाद तथा निविदाएँ खोले जाने के तीन माह बाद (25 अक्टूबर) दरें स्वीकृत की गईं;
- निविदा प्रपत्र में उपकरणों की विनिर्दिष्टियाँ एवं संख्या का उल्लेख नहीं किया गया;

- निम्नतम दर वाली निविदा को अस्वीकृत कर उच्चतम दर वाली निविदायें स्वीकार की गयी;
- संबन्धित फ़र्मों के हाथ क्रय हेतु अनुबंध नहीं किया गया; एवं उनसे कार्यपूर्ति प्रतिभूति भी प्राप्त नहीं की गयी;
- डिफेंस इक़्युपर्स और अवनी को जारी कार्यदेश (नवम्बर 2019) के अनुसार एक सप्ताह के अंदर उपकरणों की आपूर्ति की जानी थी, परंतु, डिफेंस इक़्युपर्स द्वारा निर्धारित तिथि के लगभग तीन माह बाद उपकरणों की आपूर्ति की गयी। परंतु, निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र में परिनिर्धारित नुकसान का उपबंध न रखे जाने के कारण फर्म द्वारा देरी से आपूर्ति किए जाने हेतु दंड अधिरोपित नहीं किया गया;
- आवश्यकता न होने पर भी केवल बजट की धनराशि को अनावश्यक रूप से व्यय किए जाने के उद्देश्य से व्यय किया गया, जैसा कि उपकरणों का क्रय मानसून पूर्व आपदा बचाव तैयारियों हेतु किया जाना था, जिनकी आपूर्ति मानसून समाप्त होने के लगभग 06 माह बाद प्राप्त की गयी; एवं
- फ़र्मों के देयकों से आयकर अधिनियम की धारा 194 C के अनुसार TDS की कटौती नहीं की गयी।
- चारों फर्मों द्वारा नमूने प्रस्तुत नहीं किया गये, फिर भी निविदायें स्वीकार की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने स्वीकार किया कि:

- टेंडर प्रक्रिया में देरी होने के कारण आपूर्ति आदेश देरी से जारी किया गया;
- निविदा सूचना/कार्यादेश में विलंब से आपूर्ति हेतु कोई दंड का प्रविधान न होने के कारण फर्म के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी, भविष्य में की जाने वाली अधिप्राप्तियों में निविदा सूचना और अनुबंध पत्रों में पेनल क्लाज का प्रविधान किया जाएगा ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके;
- अन्य फर्मों द्वारा उपयुक्त नमूना न दिये जाने एवं सर्टिफाइड अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण, संबन्धित फर्म का प्रस्तुत नमूना उपयुक्त पाये जाने तथा पेलिकन कंपनी से सर्टिफ़ाई होने के साथ ही गुणवत्ता के आधार पर उच्चतम दरों को स्वीकृत किया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिप्राप्ति नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए बिना आवश्यकता के केवल बजट की धनराशि का उपभोग करने हेतु रु 27.49 लाख की अनियमित अधिप्राप्ति की गयी।

अतः रु 27.49 लाख की अनियमित अधिप्राप्ति का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 03: राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि से भिन्न एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रु 2.76 करोड़ के निर्माण कार्यों में विलम्ब ।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि मद में अप्रैल 2019 में रु 5.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जुलाई 2019 में राज्य आपदा मोचन निधि मद से भिन्न मद के अंतर्गत रु1.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद में मई 2019 में रूप में रु 1.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त शासनादेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय व अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को जारी की गयी स्वीकृति में यह निर्देशित किया गया था कि संबन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्य को निर्धारित अवधि (45 से 60) दिन में भौतिक रूप से शत-प्रतिशत पूर्ण कर कार्य पूर्ण होने से संबन्धित विवरण यथा संयुक्त निरीक्षण आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका एवं शिलापट्ट/फोटोग्राफ प्रस्तुत करते हुए द्वितीय किश्त/अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु आवेदन करे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत /पुनर्निर्माण कार्यों हेतु सितंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य राज्य आपदा मोचन निधि मद के अंतर्गत स्वीकृति रु 2.15 करोड़ के सापेक्ष रु 1.29 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत /पुनर्निर्माण कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचन निधि से भिन्न मद के अंतर्गत स्वीकृति रु 1.46 करोड़ के सापेक्ष रु 0.87 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं दैवीय आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत स्वीकृति रु 1.00 करोड़ के सापेक्ष रु 0.60 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त तीनों मदों के अंतर्गत विभिन्न कार्यदायी

संस्थाओं को धनराशि मानसून सत्र समाप्त होने के दो से छह माह की देरी से सितम्बर 2019 से मार्च 2020 के मध्य अवमुक्त की गयी। जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के अनुसार उक्त सभी कार्य निर्धारित अवधि 45 से 60 दिनो के अनुसार नवम्बर 2019 से मई 2020 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे। परंतु उक्त सभी कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण पड़े हुए थे। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं शासनादेश के अनुसार न तो अव्ययित धनराशि को शासन को समर्पित किया गया और न ही शासन से उक्त धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में व्यय करने हेतु नयी स्वीकृति ही प्राप्त की गयी।

इससे स्पष्ट होता है उक्त कार्य तात्कालिक प्रकृति के नहीं थे और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विभागीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे। इस प्रकार, उक्त तीनों मदों (राज्य आपदा मोचन निधि मद के अंतर्गत रु 1.29 करोड़, राज्य आपदा मोचन निधि से भिन्न मद के अंतर्गत रु 0.87 करोड़ एवं दैवीय आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत रु 0.60 करोड़) पर अवमुक्त धनराशि रु 2.76 करोड़ का किया गया व्यय अनियमित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने स्वीकार किया कि किसी भी कार्यादायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया, इस कारण से धनराशि समर्पित नहीं की गयी एवं वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद नयी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन से पत्राचार भी नहीं किया गया। साथ ही यह भी कहा कि सामान्यतः आगणन प्राप्त होने के एक माह के अंदर कार्यों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त की जाती है। भविष्य में और अधिक सावधानी बरती जाएगी एवं निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने हेतु कार्यदाई संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपदा के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय संपत्ति की मरम्मत/ पुनर्निर्माण तात्कालिक प्रकृति के कार्य कराये जाते हैं ताकि आपदा के दौरान हुई क्षति के कारण तत्काल जनसुविधाओं को बहाल किया जा सके। मानसून सत्र समाप्त होने के दो से छह माह की देरी से कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की गयी एवं समय से कार्य पूर्ण न करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 04: रु 1.57 करोड़ का अनियमित भुगतान।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 214/XXXVO(1)/2011 चार/2015 दिनांक 11/11/11 जिसके अनुसार जिला में स्थित दीवानी / राजस्व और फ़ौजदारी के न्यायालयों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ताओं को देय फीस का निर्धारण किया गया था। इसके अतिरिक्त, शासनदेश संख्या XXXVZ(1)/2013-1 चार जे. में उक्त अधिवक्ताओं को भुगतान हेतु जनपद में कार्यरत जिला स्तरीय शासकीय अधिवक्ता को अपने अधीनस्थ अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं/ उप जिला शासकीय अधिवक्ताओं की दैनिक उपस्थिति के पंजीकरण की अनिवार्यता हेतु प्राधिकृत किया गया था। अधिवक्ताओं को किए गए भुगतान देयकों की नमूना जाँच में पाया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 मे रु 120.00 लाख एवं 2020-21 (अगस्त 2020 तक) रु 57.12 लाख यानि कि कुल रु 1.57 करोड़ का भुगतान किया गया। आगे, जाँच में पाया गया कि उक्त भुगतान अधिवक्ताओं की दैनिक उपस्थिति का सत्यापन किए बिना किया गया, क्योंकि भुगतान देयकों में उक्त अधिवक्ताओं की उपस्थिति से संबन्धित दस्तावेज़ संलग्न नहीं पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश उपरांत ही बिल पारित किए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार भुगतान से पूर्व उक्त अधिवक्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। अतः बिना उपस्थिति के सत्यापन के किया गया भुगतान अनियमित था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर 05: रु 11.23 लाख की वसूली ठेकेदार से न किया जाना।

कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कलक्ट्रेट परिसर में वाहनों (साइकिल, स्कूटर, कार) की पार्किंग हेतु एक वर्ष (01.08.2019 से 31.07.2020) की अवधि के लिए रुपये 10.11/ लाख की निविदा की गयी थी। संबन्धित ठेकेदार को जारी किए गए कार्यादेश (30 जुलाई 2019) के अनुसार, ठेकेदार द्वारा निविदित स्वीकृत धनराशि का 50% विज्ञापन व्यय सहित कार्य आदेश जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर जमा किया जाना था एवं शेष धनराशि दो समान किश्तों में जमा करनी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कुल निविदित धनराशि रु 10.11 लाख में से रु 02 लाख 14 अगस्त 2019 को तथा 02 लाख 03 फरवरी 2020 को जमा कराये गए। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा निविदित धनराशि रु 10.11 लाख के सापेक्ष कुल 04 लाख जमा कराये गए एवं शेष धनराशि रु 06.11 लाख अतिथि तक वसूली हेतु लंबित था। इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 की पार्किंग के लिये रु 9.50 लाख हेतु अनुबंध किया गया था और संबन्धित ठेकेदार से केवल रु 4.38 लाख की ही वसूली की गई, शेष रु 5.12 लाख की वसूली लंबित थी। इस प्रकार ठेकेदारों से कुल रु 11.23 लाख की वसूली लेखापरीक्षा तिथि (सितंबर 2020) तक लंबित थी। कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा मे इंगित किए जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि वसूली की कार्यवाही गतिमान है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लंबित धनराशि की वसूली से संबन्धित कोई पत्रावली अभिलेखों में नहीं पायी गई।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 06: दिशानिर्देशों के विरुद्ध रु 10.80 लाख का अनियमित व्यय:

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 140/XXXXIV/2015/15/2008 दिनांक 21/03/2015 में जनसुविधा केन्द्रों द्वारा आवेदकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के सापेक्ष प्राप्त यूजर चार्ज को व्यय किए जाने हेतु मदों को उल्लेखित किया गया है। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए रु 10.80 लाख का व्यय उन मदों में किया गया जिनमें शासनादेश के प्रवधानों के अनुसार व्यय अनुमन्य नहीं था, जिसका विवरण निम्नवत है:

(धनराशि रु में)

Head of account	Expenditure
Mobile bills payment	225940.00
Digitization	638409.00
Chairs purchase	36000.00
Fans purchase	3304.00
Software development	177000.00
Total	**10.80 लाख**

इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उक्त शासनादेश के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए रु 10.80 लाख का अनियमित व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने उत्तर दिया कि व्यय केवल ई डिस्ट्रिक्ट योजना के सम्बन्ध मे ही किया गया जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा समय समय पर प्रदान की गयी तथा उक्त मद का उपयोग केवल ई-गवर्नेंस के सम्बंध मे ही किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उक्त शासनादेश के प्रविधानों का उल्लंघन करते हुए रु 10.80 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अतः रु 10.80 लाख का अनियमित व्यय प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 07: रु 42.09 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय।

उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों/महानुभावों के आतिथ्य सरकार के लिए जनपद देहरादून को रु 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत (जुलाई2019) की गयी थी। उक्त स्वीकृति में यह उल्लेखित किया गया था कि जिन मामलों में बजट मेनुयल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय एवं प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के अनुसार जहां तक संभव हो राज्य अतिथियों को राज्य अतिथि ग्रहों, राज्य शासन के निरीक्षण बंगलों एवं विश्राम ग्रहों में प्रवास उपलब्ध कराया जाएगा। जहां इस प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं होगी वहाँ राज्य अतिथियों को कुमाऊँ मण्डल विकास निगम या गढ़वाल मण्डल विकास निगम जैसी भी स्थिति हो, के अतिथि ग्रहों में ठहराया जाएगा। उपरोक्तानुसार सुविधा उपलब्ध न होने पर राज्य अतिथियों को होटलों में ठहराया जाएगा।

कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य अतिथियों को उत्तरांचल राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के प्रविधान के अनुसार राज्य अतिथि गृहों, राज्य शासन के निरीक्षण बंगलों एवं विश्राम ग्रहों में ठहराने के स्थान पर होटल वेलकम द सिवोय, मसूरी एवं होटल ऋषिकेश रिसोर्ट एंड स्पा में ठहराया गया और उनके होटल प्रवास पर क्रमशः रु 37.14 लाख एवं रु 4.95 यानि कि कुल रु 42.09 लाख की धनराशि का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर जिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि शासन द्वारा निर्देशित होटलों में महानुभावों को ठहराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त दोनों ही स्थानों (मसूरी और ऋषिकेश) पर राज्य शासन के निरीक्षण बंगले व गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अतिथि गृह उपलब्ध थे, परन्तु उत्तरांचल राज्य अतिथि नियमावली, 2002 के प्रविधानों के अनुसार उनमें व्यवस्था नहीं की गयी एवं रेंडम आधार पर होटलों का चयन करते हुए रु 42.09 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया गया।

अतः रु 42.09 लाख की धनराशि के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01- अग्रिमों की धनराशि रू 34.56 लाख विगत कई वर्षों से असमायोजित रहना।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून के नजारत अनुभाग के अग्रिम पंजिकाओं तथा सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1992 से मई 2016 के दौरान कार्यालय द्वारा कई कार्मिकों को विभिन्न कार्यों के सम्पादनार्थ रू 34,55,756/ की धनराशि अग्रिम के रूप में प्रदान की गयी थी परन्तु लगभग 28 वर्ष व्यतीत हो जाने उपरान्त भी लेखापरीक्षा तिथि तक सम्बंधित कार्मिकों द्वारा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने प्रतिउत्तर में बताया कि सम्बंधित प्रकरण वर्ष 1992 से लम्बित है तथा वर्तमान में प्रश्नगत अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही गतिमान है तथा उक्त अवधि मे कार्यरत कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है जिनकी वसूली की जानी सम्भव नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी कार्मिक को कार्यालय उपयोगार्थ दिये गये अग्रिम का समायोजन यदि कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित कार्मिक से अग्रिम की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गयी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02- रु. 13.52 लाख की प्राप्तियों को राजकोष में जमा न किया जाना तथा रु. 26.60 लाख की संबंधित विभाग को वापस न किया जाना।

शासनादेश के पत्रांक दिनांक 3 सितम्बर, 2009 में स्पष्ट है कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियॅ में जमा किया जाय।

कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून के बैंक खातों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया था कि कार्यालय द्वारा पंजाब नैशनल बैंक में खाता संख्या-1532000101278051 का संचालन किया जा रहा है जो जिलाधिकारी, सदर नाजिर, देहरादून के पदनाम से है। उक्त खाते में जमा धनराशियों पर रू 543409/अर्जित ब्याज की धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रतिउत्तर में बताया अर्जित ब्याज की धनराशि को यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

(2) कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून के अन्तर्गत नजारत अनुभाग की पंजिका संख्या-04 की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2006 से 2019 के दौरान प्राप्त राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित धनराशि रू 808668/(परिशिष्ट-01), वर्ष 2002 से वर्ष 2004 के दौरान जम्मू एवं कश्मीरी विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता मद में प्राप्त धनराशियों का अवशेष धनराशि रू 511750/ (परिशिष्ट-02), वर्ष 2001 से वर्ष 2009 के दौरान ए0जे0ए0-3 व 4 में सड़क दुर्घटना में घायल एवं मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता मद से सम्बंधित धनराशि रू 234300/(परिशिष्ट-03) एवं वित्तीय वर्ष 1996 से वर्ष 2011 के दौरान अन्य विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशियों की अवशेष धनराशि रू 1914245/(परिशिष्ट-04) अर्थात कुल धनराशि रू 3468963/ की प्रविष्टियां उक्त पंजिका में दर्ज की गयी थी तथा यह प्रविष्टियां विगत कई वर्षें से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होते ही लाल स्याही से दर्ज की जा रही थी। जबकि उक्त राजस्व प्राप्ति को समयबद्ध राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए तथा अन्य मदों में प्राप्त धनराशियों की अवशेष धनराशि को सम्बंधित विभाग को तत्समय वापस किया जाना चाहिए था जो कि लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने प्रतिउत्तर में बताया गया कि प्रश्नगत धनराशि को वर्ष 1992 से वर्ष 2016 के दौरान कार्यरत कर्मचारियों को अग्रिम के रूप में दी गयी, वर्तमान में अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही गतिमान है तथा उक्त अवधि मे कार्यरत कुछ कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है जिनकी वसूली किया जाना सम्भव नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व प्राप्ति को प्राप्ति तिथि को या द्वित्तीय कार्य दिवस में राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था तथा अन्य मदों में प्राप्त धनराशियों की अवशेष धनराशि को सम्बंधित विभाग को वापस किया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(संलग्नकः परिशिष्ट-1,2,3 व 4।**)**

परिशिष्ट-1

राजस्व प्राप्तियॉ

क्र0स0	पंजिका क्र0स0	धनराशि का विवरण	तिथि	धनराशि
1	118	पॉर्किंग एव रद्दी नीलामी के टेण्डर फार्म से प्राप्त।	21.03.2016	1568
2	116	कलैक्ट्रेट पॉर्किंग व लेखन सामग्री प्रपत्र से प्राप्त	01.06.2015	3500
3	115	रसीद सं-237781 एवं रद्दी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	200
4	114	रसीद सं- 237780 व स्टेशनरी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	500
5	113	रसीद सं- 237779 व स्टेशनरी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	500
6	112	रसीद सं- 237778 व रद्दी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	200
7	111	रसीद सं- 237777 व रद्दी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	200
8	110	पॉर्किंग टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	500
9	109	पॉर्किंग टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	500
10	108,107,106	पॉर्किंग टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	1500
11	105,104,103, 102,101	रद्दी टेण्डर प्रपत्र शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	1000
12	100,99,98	स्टेशनरी टेण्डर शुल्क से प्राप्त	30.04.2015	1500
13	97	lkbZfdy@dkj@LVS.M+ नीलामी से प्राप्त	24.09.2013	50000
14	96	साईकिल/कार/स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	08.08.2013	100000
15	95	साईकिल/कार/स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	06.05.2013	225500
16	94	साईकिल स्कूटर नीलामी से प्राप्त	25.04.2013	14000
17	89	स्कूटर/कार स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	29.03.2013	50000
18	88	स्कूटर/कार स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	15.12.2012	50000
19	87	स्कूटर/कार स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	25.08.2011	157500
20	86	स्कूटर/कार स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	13.05.2011	52500
21	85	लेखन सामग्री की आपूर्ति निविदा प्रपत्र	27.04.2011	2000

		शुल्क		
22	75	कम्प्यूटर स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	16.08.2010	8000
23	67	साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	13.11.2009	40000
24	37	साईकिल/स्कूटर स्टैण्ड़ नीलामी से प्राप्त	28.06.2006	25000
25	119	टपर जिलाधिकारी के आदेशानुसार त्रिस्तरीय जिला पंचायत निर्वाचन 2019 में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क रू 22500/ को एस0बी0आई0 कचहरी शाखा में दिनांक 03.12.2012 को जमा किया गया।	03.12.2019	22500
		योग		808668

परिशिष्ट-2

जम्मू कश्मीर विस्थापित परिवारों को आर्थिक सहायता

क्र0स0	पंजिका का क्र0स0	धनराशि का विवरण	तिथि	धनराशि
1	28	चैक संख्या-393570 दिनांक 26.03.2004 से प्राप्त धनराशि रू 6.00 लाख मे से अवशेष कश्मीर विस्थापितों को आर्थिक सहायता।	02.04.2004	177000
2	25	चैक संख्या-335775 दिनांक 12.09.2003 से प्राप्त धनराशि रू 6.00 लाख मे से अवशेष कश्मीर विस्थापितों को आर्थिक सहायता।	26.09.2004	177000
3	22	कोषागार से प्राप्त चैक संख्या-281480 दिनांक 30.03.2002 रू 898000/ में से अवशेष धनराशि, जम्मु कश्मीर विस्थापितों के परिवार को आर्थिक सहायता	10.04.2002	157750
		योग		511750

परिशिष्ट-3

ए0जे0ए0 की धनराशि

क्र0स0	पंजिका का क्र0स0	धनराशि का विवरण	तिथि	धनराशि
1	69	बैंक ड्राफ्ट सं-393474 दिनांक 15.07.2009 रू 5000/ ए0जे0ए-3 दुर्घटना में घायल मौ0 अमीर पुत्र मु0 शामिन नि0 3 गॉधी रोड. देहरादून।	22.12.2009	5000
2	70	बैंक ड्राफ्ट सं-612012 दिनांक 19.06.2009 रू 5000/ ए0जे0ए-3 दुर्घटना में घायलों को सहायता हेतु।	22.12.2009	5000
3	66	बैंक ड्राफ्ट सं-383274 दिनांक 10.07.2009 रू 5000/ ए0जे0ए-3 कु0 उर्वसी पुत्री श्री अशोक देहरादून।	12.10.2009	5000
4	62	बैंक ड्राफ्ट सं-811158 दिनांक 13.03.2009 रू 5000/ ड्राफ्ट सं-811422 दिनांक 19.03.2009 रू 5000/ मे से प्राप्त धनराशि ए0जे0ए0-3 से दुर्घटना की धनराशि।	05.05.2009	55000
5	60	बैंक ड्राफ्ट सं-378121 दिनांक 29.01.2009 रू 5000/ ए0जे0ए-3 दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता हेतु।	02.04.2009	5000
6	59	बैंक ड्राफ्ट सं-379151 दिनांक 11.02.2009 रू 60000/ ए0जे0ए0-3 दुर्घटना में मृतकों/घायलों को आर्थिक सहायता हेतु।	02.04.2009	60000
7	58	परिवाहन आयुक्त उत्तराखण्ड़ के पत्र संख्या-1867/लेखा/बजट/42 अन्य व्यय के अन्तर्गत चैक संख्या-230207 दिनांक 19.02.2009 रू 6.00 लाख में से अवशेष राशि	24.02.2009	8000
8	55	ए0जेडए-3 से ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त दुर्घटना से घायलों को आर्थिक सहायता कुलदीप पुत्र कृपाल सिंह आर0/0 माजरी माफी देहरादून ।	07.10.2008	5000
9	54	एस0डी0एम0 चकराता से प्राप्त धनराशि दुर्घटना में घायल/ मृतक व्यक्तियों को आर्थिक सहायता ए जेड ए-3 से सम्बंधित	02.06.2008	5000
10	45	प्र0अ0 ए0जे0ए0-4 से डी0एम0 टिहरी से प्राप्त वाहन सं-यूए12-6597 के दुर्घटना ग्रस्त होने पर आर्थिक	15.06.2007	10000

		सहायता।		
11	35	बैंक ड्राफ्ट सं-237593 दिनांक 04.02.2006 रू 60000/ ए0जेडए-4 दुर्घटना में मृतकों/घायलों को आर्थिक सहायता हेतु।	03.03.2006	5000
12	34	जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 24.02.2006 के द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं-237592 दिनांक 04.02.2006 रू 20000/ मसूरी चम्बा मोटर मार्ग दुर्घटना में ए0जेड0ए-3 की राशि	30.03.2006	20000
13	31	ए0डी0एम0(इ) के आदेश दिनांक 28.06.2005 के द्वारा रू 20000/बस संख्या- यू0पी0 08-3079 चम्बा मोटर मार्ग से बस दुर्घटना में घायल/मृतक श्रीमती लखपति पत्नी चन्दर नि0 राजीव नगर देहरादून। की राशि	28.06.2005	20000
14	29	चैक संख्या-853784 दिनांक 31.03.2004 रू 122000/में से अवशेष ए0जे0ए0-4 की धनराशि	19.04.2004	800
15	15	ए0जे0ए0-4 पटल से सम्बंधित बैंक ड्राफ्ट सं-336068 दिनांक 31.03.2001 से प्राप्त परीक्षाओं हेतु	11.04.2001	25000
16	11	ए0जे0ए0-4 के पटल से भूकम्प राहत की धनराशि।	20.03.2001	500
		योग		234300

परिशिष्ट-4

विविध-मदें

क्र0स0	पंजिका का क्र0स0	धनराशि का विवरण	तिथि	धनराशि
1	52	चैक संख्या-169855 दिनांक 29.03.2008 से प्राप्त धनराशि एस0डी0एम0 कार्यालय निर्माण हेतु रू 35.85 लाख में से अवशेष।	02.04.2008	31748
2	48	चैक संख्या-114585 दिनांक 14.08.2007 से 15.08.2007 तक परेड ग्राउण्ड़ हेतु अवंटित धनराशि का अवशेष	20.08.2007	78150
3	40	सहायक भू-लेख अधिकारी देहरादून से भू-अभिलेख द्वारा डाटा सेंटर की स्थापना हेतु प्राप्त धनराशि रू 115000/ में से अवशेष	23.11.2006	15000
4	84	पत्र स0 मेमो/बी0सी0/मानदेय 2010-11 दिनांक 22.03.2011 द्वारा कलैक्ट्रेट कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय की धनराशि	31.03.2011	30000
5	83	चैक सं-61951 दिनांक 31.03.2011 रू 18795 मे से अवशेष धनराशि	31.03.2011	8479
6	82	चैक संख्या-60290 दिनांक 31.03.2011 रू 5574/ प्राप्त	31.03.2011	5574
7	81	चैक सं-38861 दिनांक 21.02.2011 रू 7690/ मे से अवशेष धनराशि।	24.03.2011	3106
8	80	वद सं0 41/07 धारा 72/2 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली सरकार बनाम रवि आदि रशीद स0-4286 दिनांक 14.08.2011 से प्राप्त जुर्माना की धनराशि।	04.03.2011	5000
9	79	67/2010 धारा 72/2 आबकारी अधिनियम थाना विकासनगर सरकार बनाम अनिल कुमार	27.12.2009	5000
10	78	रसीद स- 804281 दिनांक 07.09.2010 श्री राजीव मित्तल पुत्र पी0सी0 मित्तल निव-17 सी राजपुर रोड़ देहरादून।	07.08.2010	9000
11	77	वा0स0- 144 हिन्दुस्तान मिडिया एडवेन्चर	06.09.2010	1240
12	75	वा0स0- 144 हिन्दुस्तान मिडिया एडवेन्चर	31.07.2010	1489
13	74	वा0स0 1,2,4,8 डी0एम0, गार्डरूम टी0एच0आर0-आर0, टी0एच0आर0-वी की राशि	03.07.2010	4768
14	72	पत्र स0 मेमो/वी0सी0-2010 दिनांक 25.03.2010 कलेक्टरेट कर्मचारियों का मानदेय।	26.03.2010	60000
15	73	चैक संख्या-312844 दिनॉक 22.03.2010 रू 12000/से प्राप्त मृतक/ स्वतन्त्रंत्रा संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दाह-संस्कार हेतु	31.03.2010	12000

16	71	चैक संख्या-29998 दिनांक 19.02.2010 में से अवशेष धनराशि।	23.02.2010	6555
17	64	चैक संख्या-288532 दिनांक 04.09.2009 रू 14663/	09.09.2009	14663
18	63	चैक संख्या-268534 दिनांक 04.09.2009 रू 39825/ में से अवशेष	02.09.2009	1389
19	61	चैक संख्या-250937 दिनांक 28.04.2009 रू 164619/ मे से अवश्sाष धनराशि	01.05.2009	5237
20	57	ऑडिट नोट-63 देहरादून स0ना0- सदर 2008-09 दिनांक 07.10.2008 के प्रस्तर 2008 में इंगित आपति वर्ष 2007-08 की पंजी संख्या-04 की लाल स्याही से पकड़ी बकाया धनराशि रू 82628/का परीक्षण किये गये का अन्तर विद्यमान है परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जानी श्रीमती आशा खरोला ना0न0 के आश्रित श्री नरेश खरोला से जमा कराई गई धनराशि।	03.12.2008	116780
21	56	पत्रावली सं0-438/बि0लि0/सू0का0अ0 दिनांक 25.10.2008 श्रीमति मीरा देवी पत्नी संदीप कुमार सेनानी भवन स्नेह कुंज शास्त्रीनगर मेडिकल कॉलेज मेरठ।	31.10.2008	40
22	53	चैक संख्या-169150 दिनांक 22.03.2008 से प्राप्त धनराशि गणतन्त्रं दिवस समारोह से प्राप्त	02.04.2008	719000
23	51	चैक संख्या-153213 दिनांक 18.02.2008 से प्राप्त स्वन्त्रंता 1957 की 50वीं वर्षगांठ मनाए जाने हेतु प्राप्त धनराशि।	12.02.2008	50000
24	50	मृतक अज्ञात स्वरूप की जमा तलाशी से प्राप्त एसडीएम-आर कार्यालय के पत्र संख्या-1045/पेशकार दिनांक 29.11.2007 से प्राप्त धनराशि	01.01.2008	300
25	49	चैक संख्या-133135 दिनांक 13.11.2007 से प्राप्त धनराशि में से अवशेष	19.11.2007	2135
26	47	ज्नपद चमोली के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2007 के मध्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को आर्थिक सहायता।	26.06.2007	30000
27	45	चैक संख्या-94539 दिनांक 26.03.2007 से प्राप्त धनराशि में से अवशेष	10.04.2007	144
28	44	चैक संख्या-9183 दिनांक 24.03.2007 से प्राप्त धनराशि में से अवशेष	05.04.2007	5169
29	43	चैक संख्या-94531 दिनांक 26.03.2007 से प्राप्त धनराशि में से अवशेष	05.04.2007	586
30	42	चैक संख्या-90422 दिनांक 24.03.2007 से प्राप्त धनराशि में से अवशेष	05.04.2007	300
31	41	कोषागार चैक सं0-77499 दिनांक 09.02.2007 से प्राप्त	19.02.2007	48000

		धनराशि ग्राम प्रहरियों का मानदेय 07/06 सं0 12/06 तक		
32	39	विशाल रिटेल लि0 पर जुर्माने से प्राप्त धनराशि	19.08.2006	5000
33	38	ग्राम प्रहरियों तथा राजस्व पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गोपनीय फण्ड से प्राप्त	27.06.2006	1500
34	36	नगर मजिस्ट्रेट के आदेश सं0-07.03.2006 के द्वारा सरकार नाम नंद किशोर पुत्र परमानन्द बनाम द्रोण काम्पलेक्स राजपुर रोड़ के द्वारा विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर रसीद सं0 004217 दिनांक 07.03.2006 के द्वारा जमा किये गये।	07.03.2006	10000
35	33	चैक संख्या-959674 दिनांक 11.02.2006 से प्राप्त धनराशि रू 13053/ में से अवशेष	17.02.2006	730
36	32	चैक संख्या-973105 दिनांक 06.10.2005 से प्राप्त धनराशि रू20611/ में से अवशेष	10.10.2005	2551
37	30	ज्लकर तहसील धनराशि का स0 20 से 22 तक	30.03.2005	2446
38	27	कोषागार चैक सं-370341 दिनांक 04.12.2003 रू 4844/ मे से अवशेष धनराशि	06.12.2003	1609
39	26	कोषागार चैक सं-364223 दिनांक 01.11.2003 रू 9682/ मे से अवशेष धनराशि	10.11.2003	2689
40	24	कोषागार चैक सं-570349 दिनांक 12.03.2003 रू4252/ मे से अवशेष धनराशि	20.03.2003	3010
41	23	कोषागार चैक सं-..... दिनांक ... रू10415/ मे से अवशेष धनराशि	10.04.2002	4073
42	21	कोषागार चैक सं-120211 दिनांक 06.02.2002 के द्वारा प्राप्त टेलीफोन व्यय से सम्बंधित	27.03.2003	3133
43	20	कोषागार चैक सं- 73317 दिनांक 31.12.2001 द्वारा प्राप्त धनराशि अंकिचग दाह संस्कार	07.01.2002	1000
44	19	कोषागार चैक संख्या-93316 दिनांक 19.12.2001 द्वारा प्राप्त भुगतान अंकिचन द्वारा दाह संस्कार	07.01.2002	2500
45	18	बैंक ड्राफ्ट सं-801861 दिनांक 01.08.2001 रू 3011/ द्वारा प्राप्त भुगतान गणत्रं दिवस समारोह डी एम नैनीताल के पक्ष में निर्गत किया जो निस्तीकरण शुल्क रू30 कटाने के पश्चात	22.04.2001	2981
46	17	थ्जला सूचना/युवा कल्याण नितिन विष्ट वा0स0 9 संजय सूद रिपाल	11.07.2001	250
47	16	सहायक सम्पत्ति अधिकारी सचिवालय लखनउ से प्राप्त एम्बेस्टर कार बैटरी लगाये जाने हेतु	21.06.2001	3285
48	14	सूरजमणि रतूड़ी वा0स0 51 की धनराशि	10.04.2001	50
49	13	गढ़वाल जल संस्थान वाउचर सं-16 व 17	10.04.2001	3010
50	12	टंकिचन मृतक दाह संस्कार दाह संस्कार हेतु प्राप्त धनराशि	20.03.2001	19200

51	10	राजस्व स्थापना दिवस मद संख्या-42 अन्य व्यय से प्राप्त धनराशि की अवशेष राशि	16.03.2001	850
52	9	गणतत्रं दिवस समारोह परेड ग्राउण्ड़ के आयोजन हेतु शासन से प्राप्त रू1232500/ की अवशेष धनराशि	23.01.2001	491290
53	8	स्वतत्रंता दिवस समारोह मनाये जाने हेतु प्राप्त धनराशि की अवशेष राशि	06.11.2000	300
54	7	मालखाने में रखे शस्त्रों की मरम्मत/सफाई हेतु धनराशि	12.11.1998	178
55	6	राजस्व प्रशासन के सुर्दर्णीकरण योजना चैक दिनांक 07.10.1998 में की जमा धनराशि	27.10.1998	30000
56	5	जिला सूचना कम्प्यूटरों के सुर्दर्णीकरण हेतु धनराशि	16.10.1998	18000
57	4	राजस्व प्रशासन के सौन्दर्यकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में परिषद से प्राप्त धनराशि मे से अवशेष	07.10.1998	33224
58	3	मालखाने में रखे शस्त्रों की मरम्मत/सफाई हेतु धनराशि	18.02.1998	178
59	2	मालखाने में रखे शस्त्रों की मरम्मत/सफाई हेतु धनराशि	07.041997	178
60	1	मालखाने में रखे शस्त्रों की मरम्मत/सफाई हेतु धनराशि	07.02.1996	178
		योग		1914245

Grand total: 808668+ 511750 + 234300 +1914245 = **3468963**

AIR- AMG-III/10/2020-21

STAN

प्रस्तर 03- रू 2.05 करोड़ की धनराशि को राज्य स्तरीय समिति को हस्तान्तरित न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ राजस्व अभिलेख (सृजित, दाखिल, निर्गत, कम्प्यूटरीकरण एवं कम्प्यूटरीकृत अभिलेख) नियमावली, 2019 के नियम-15 **(1)** में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के जनपदों में संचालित भूलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खातों में शुल्क से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि स्वतः हे राज्य स्तरीय राजस्व अभिलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खाते में निहित समझी जायेगी तथा जिलाधिकारी नियमावली जारी होने की तिथि के 15 दिनों के अन्दर राज्य स्तरीय समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाये तथा तद्नुसार राज्य जनपदीय स्तरीय समिति को सूचित किया जाये।

जिलाधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत जनपदीय स्तरीय भूलेख प्रबन्धन एवं अनुरक्षण समिति के अभिलेखों तथा बैंक पासबुक के संवीक्षा में पाया गया कि संदर्भित समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में खाता संख्या-31444650679 का संचालन किया जा रहा था, उक्त खाते में 29 अगस्त 2020 तक समस्त तहसीलों द्वारा निर्गत की गयी 'खतौनी नकल' के शुल्क से प्राप्त रू 20492783/की धनराशि जमा थी। संदर्भित धनराशि जनपद स्तर की धनराशि थी जिसे उक्त नियमावली के नियम 15(1) के अनुसार राज्य स्तरीय समिति बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था, जो लेखापरीक्षा तिथि तक हस्तान्तरित नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कारते हुए अपने उत्तर में बताया गया कि राजस्व परिषद से पत्राचार करके तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
74/2010-11	01	01	1,2,3
61/2011-12	00	01,02	01,02
33/2014-15	00	01,02,03,04,05,06	0
51/2017-18	00	01,02,03	1
16/2019-20	01,02	01,02,03,04	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
74/2010-11	**<u>भाग-दो अ प्रस्तर-01</u>** रोकड़बही के रजिस्टर-4 के संधारण के बिना ही किये गये लेन देन। **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>** रू 23.20 लाख कार्यदायी संस्था के पास अवरूद्व रहना। **<u>STAN प्रस्तर-01</u>** रू 25.75 लाख की धनराशि को खाते में अवरूद्व रखना। प्रस्तर-2 रू 5.47 लाख के फर्नीचर का अनियमित क्रय। प्रस्तर-03 रू 28.21 लाख विभाग के पास अवरूद्व रहना।	अनुपालन आख्या प्रधान महालेखाकार को प्रेषित कर दी जायेगी।		
61/2011-12	**<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>** भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न किये जाने के कारण निर्माण कार्य			

	का पूर्ण न किया जाना एवं लागत में रू 82.56 लाख की वृद्वि। **प्रस्तर 02** रू 30.68 लाख की धनराशि विभाग के पास अवरूद्व रहना। **<u>STAN प्रस्तर-01</u>** कर्मचारियों के मानदेय देने हेतु रू 6.09लाख का शासकीय खाते से आहरण का वांछित उद्देश्य पर व्यय न करके कार्यालय में रखा जाना। **प्रस्तर-2** रू 25.58 लाख की धनराशि निर्माण के उपरान्त अवशेष रहने के बाद भी शासन को समर्पित न किया जाना।	-तदैव-		
33/2014-15	**<u>भाग-दो ब प्रस्तर 01</u>** रू 62.99 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होना। **प्रस्तर 02** अग्रिम के रूप में दी गयी धनराशि रू 28.99 लाख का समायोजन न होना। **प्रस्तर-03** निरर्थक व्यय रू 99.21 लाख **प्रस्तर-04** विगत एक से पन्द्रह वर्षों तक की अवशेष धनराशि रू 32.51 लाख का समर्पण न किया जाना। **प्रस्तर-05** फर्नीचर मद में धनराशि रू 305542/ का अनियमित व्यय। प्रस्तर 06- रोकड़ बही एवं BM-5 में मिलान उपरांत ₹ 28,524,380/- की धनराशि के वित्त बाउचर का इन्द्राज रोकड़ बही में न किया जाना।	-तदैव-		
51/2017-18	**<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>** रू 630.95 लाख की व्यय राशि का सत्यापन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न किया जाना। **प्रस्तर -02** लम्बित वसूली के फलस्वरूप राजस्व क्षति रू 5390.83 लाख। भाग-दो **प्रस्तर-03**	-तदैव-		

	निधियों का अवरोधन रू11207.47 लाख। **<u>STAN प्रस्तर-01</u>** अनियमित क्रय रू 3.93 लाख।			
16/2019-20	**<u>भाग-दो अ प्रस्तर-01</u>** उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर, बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए तथा सक्षम अधिकारी के मौखिक निर्देशों के अनुक्रम में ट्रैवल एजन्सियों को भुगतान किया जाना धनराशि रू 1.17 करोड़। **प्रस्तर-0**2 स्टाम्प वादो की वसूली न किया जाना धनराशि रू 14.77 करोड़। **<u>भाग-दो ब प्रस्तर-01</u>** भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत गृह/भवन अनुदान रू 1.01 करोड़ की वितरित धनराशि का सत्यापन न कराया जाना। **प्रस्तर-02** दैवी आपदा एवं मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत वितरित धनराशि रू 8.65 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना। **प्रस्तर-03** लम्बित वसूली रू 1048.51 लाख। **प्रस्तर-04** ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 13.55 लाख के राजस्व हानि।	-तदैव-		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री बीर सिंह बुद्धियाल	अपर जिलाधिकारी (वि.व रा.)	03/10/2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, जिलाधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप. महालेखाकार/ए0एम0जी0-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-III